मेलोडी होटल के कमरे में खेल रहे थे ऑनलाइन जुआ-सट्टा

पुलिस ने दो युवक-एक युवती को पकड़ा, 2 लैपटॉप, टैबलेट और 5 मोबाइल बरामद

जयपुर, 25 अगस्त (का.सं.)। जयपुर के वैशाली नगर थाना इलाके में मेलोडी होटल के एक कमरे में ऑनलाइन जुआ-सट्टा चल रहा था। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो युवकों और एक युवती को पकड़ा है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 2 लैपटॉप, एक टैबलेट और 5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

आरोपी नेपाल और महाराष्ट्र से यहां पहुंचे थे और क्रिकेट समेत अन्य खेलों पर ऑनलाइन पैसे लगवाकर जुआ-सट्टा खिलाने का काम कर रहे थे।पकड़े गए आरोपियों की पहचान अशोक पौडेल निवासी गांव कुर्गा, जिला पर्वत, नेपाल, परीना गिरी (23) निवासी गांव पड़रिया, जिला बाड़गंगा, नेपाल और पवन वैष्णव (38) निवासी बी-801, इटरनल एग्जोटिया, पुणे, महाराष्ट्र के रूप में हुई है।

मेलोडी होटल के रूम नंबर 204 में दबिश

स्पेशल पुलिस कमिश्नर ओमप्रकाश ने बताया कि मंगलवार को पुलिस टीम ने को मेलोडी होटल के रूम नंबर 204 में दबिश दी। मौके पर दो युवक और एक युवती मौजूद मिले। पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण के दौरान सामने आया कि आरोपी ऑनलाइन माध्यम से क्रिकेट एवं अन्य खेलों पर लोगों से पैसे लगवाकर सट्टा संचालित कर रहे थे। आरोपी जगह बदल-बदल कर सट्टा लगाने का काम करते है।मौके पर आज का करीब 6 लाख रुपए का हिसाब मिला, जबकि महीने का अनुमानित कारोबार करीब 18 लाख रुपए बताया गया है। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने मौके से 2 लैपटॉप, 1 टैबलेट और 5 मोबाइल फोन बरामद किए। सभी आरोपियों और बरामद सामान को अग्रिम कार्रवाई के लिए पुलिस थाना वैशाली नगर के सुपुर्द किया गया, जहां मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

केकड़ी निकाय चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका, पूर्व पालिकाध्यक्ष अनिल मित्तल कांग्रेस में शामिल

केकड़ी, 25 अगस्त (का.सं.)। नगरपालिका चुनावों को लेकर केकड़ी में रविवार को सियासी सरगर्मी चरम पर रही। एक ही दिन कांग्रेस और भाजपा ने अलग-अलग स्थानों पर विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित कर चुनावी तैयारियों का शंखनाद किया। कांग्रेस कार्यालय में पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कार्यकर्ताओं और दावेदारों से संवाद किया, वहीं भाजपा की ओर से विधायक शत्रुघ्न गौतम ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन करने के बाद विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया।

दोनों दलों के आयोजनों में नगरपालिका चुनाव में टिकट के लिए आवेदन करने वाले दावेदारों और पार्टी कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। इससे शहर में चुनावी माहौल और गरमा गया। कई वार्डों में टिकट के लिए दावेदारों की संख्या अधिक होने से दोनों दलों के सामने प्रत्याशी चयन की चुनौती भी दिखाई देने लगी है।

कांग्रेस की ओर से पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में केकड़ी नगरपालिका चुनाव को लेकर विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों और संभावित प्रत्याशियों से चुनावी तैयारियों को लेकर चर्चा की।सम्मेलन में नगर अध्यक्ष, निवर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष, पार्षद, वरिष्ठ कांग्रेसजन, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी और विभिन्न वार्डों से चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार मौजूद रहे। डॉ. रघु शर्मा ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने तथा जनता के बीच कांग्रेस की नीतियों और स्थानीय मुद्दों को मजबूती से उठाने का आह्वान किया। इस दौरान रघु शर्मा ने विधायक शत्रुघ्न गौतम पर राजनीतिक कटाक्ष भी किए और विकास के मुद्दे को लेकर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच सक्रिय रहने का संदेश दिया।

भाजपा ने कार्यालय खोला, गौतम के नेतृत्व में विशाल सम्मेलन

दूसरी ओर भाजपा ने अजमेर रोड स्थित पुराने स्वास्तिक हॉस्पिटल भवन में नगरपालिका चुनाव को लेकर अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद यहां विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया।

सम्मेलन में विधायक शत्रुघ्न गौतम, भाजपा जिलाध्यक्ष जीतमल प्रजापत, प्रदेश प्रभारी कृष्ण मोहन शर्मा, जिला प्रभारी सुभाष वर्मा सहित वरिष्ठ पदाधिकारी, वार्ड प्रभारी, कार्यकर्ता और नगरपालिका चुनाव के लिए आवेदन करने वाले दावेदार मौजूद रहे विधायक शत्रुघ्न गौतम ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर चुनाव मैदान में उतरने का आह्वान किया।

दोनों दलों में दावेदारों की लंबी कतार

दोनों विशाल कार्यकर्ता सम्मेलनों में नगरपालिका चुनाव के दावेदारों की सक्रियता खास तौर पर चर्चा में रही। विभिन्न वार्डों से टिकट की दावेदारी कर रहे नेताओं ने अपनी ताकत दिखाने का प्रयास किया। कांग्रेस और भाजपा दोनों में कई वार्ड ऐसे हैं, जहां एक से अधिक दावेदार टिकट की दौड़ में हैं।

रघु शर्मा बनाम गौतम, विकास बना मुख्य मुद्दा

केकड़ी नगरपालिका चुनाव से पहले एक ही दिन कांग्रेस और भाजपा के शक्ति प्रदर्शन ने स्थानीय राजनीति का तापमान बढ़ा दिया है। रघु शर्मा और शत्रुघ्न गौतम के बीच राजनीतिक बयानबाजी के साथ अब विकास बनाम आरोप-प्रत्यारोप की चुनावी राजनीति आकार लेती दिखाई दे रही है।

नगरीय निकाय चुनाव के दौरान पेट्रोल पंपों पर पर्याप्त ईंधन उपलब्ध रखने के निर्देश

पेट्रोल एवं डीजल पंपों पर न्यूनतम स्टॉक सुरक्षित रखना अनिवार्य - जिला कलक्टर

जयपुर, 25 अगस्त। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर जिला निर्वाचन अधिकारी (म्यूनिसिपल) एवं जिला मजिस्ट्रेट संदेश नायक ने जयपुर जिले की राजस्व सीमा में स्थित समस्त पेट्रोल पंपों को पेट्रोलियम पदार्थों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने का सोमवार को आदेश जारी किया।

जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक पेट्रोल एवं डीजल पंप तथा सीएनजी पंप अनुज्ञाधारी अनिवार्य रूप से न्यूनतम 1000 लीटर पेट्रोल, 2000 लीटर डीजल, 500 किलोग्राम सीएनजी तथा 200 लीटर ऑयल का स्टॉक सुरक्षित रखेंगे।

आदेश के अनुसार सुरक्षित स्टॉक की बिक्री जिला कलक्टर, जिला रसद अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा जारी अनुज्ञापत्र के बिना नहीं की जाएगी। पेट्रोल पंप अनुज्ञाधारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आदेश की प्रभावशीलता अवधि में पेट्रोल एवं डीजल पंप सूखा न रहे। निर्वाचन कार्य में लगे वाहनों को पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एवं ऑयल की उपलब्धता निर्बाध रूप से बनाए रखने के लिए पर 24 अगस्त 2026 को प्रातः 6 बजे से 22 सितंबर 2026 की रात्रि 12 बजे तक जिले के फिलिंग स्टेशन 24 घंटे खुले रहेंगे। पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि कूपन में दर्ज मात्रा के अनुसार तत्काल ईंधन उपलब्ध करवाएं तथा चुनाव कार्य के लिए अधिकृत सीएनजी वाहनों को प्राथमिकता से सीएनजी उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। चुनाव कार्य सम्पन्न होने के बाद कूपन के आधार पर उपलब्ध करवाए गए ईंधन के बिल तीन प्रतियों में 6 अक्टूबर 2026 तक जिला पूल, कलक्ट्रेट, जयपुर में प्रस्तुत करने होंगे। बिल के साथ पेट्रोल, डीजल, सीएनजी एवं ऑयल की पृथक-पृथक सूची भी उपलब्ध करवानी होगी।

नगर परिषद चुनाव को लेकर भाजपा में हलचल तेज, टिकट के दावेदारों की उमड़ी भीड़

गंगापुर सिटी, मदन मोहन गर्ग। नगर परिषद चुनाव को लेकर भाजपा में टिकट दावेदारों की सक्रियता बढ़ गई है। भाजपा जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर के निवास पर विभिन्न वार्डों से दावेदार अपने समर्थकों के साथ पहुंचकर टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं।

दावेदार अपने सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यों, वार्ड में जनसंपर्क, संगठन के प्रति सक्रियता और जनसमर्थन को टिकट का आधार बता रहे हैं। कई दावेदार समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान वार्ड की स्थानीय परिस्थितियों, संगठनात्मक स्थिति एवं चुनावी समीकरणों पर भी चर्चा हो रही है।

टिकट दावेदारों की बढ़ती सक्रियता से नगर परिषद चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अब सभी की नजरें भाजपा संगठन द्वारा प्रत्याशियों के चयन और टिकट वितरण पर टिकी हैं।

एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत पुलिस की कार्रवाई, वारंटी गिरफ्तार

केकड़ी सदर थाना पुलिस ने ग्राम धुंधरी से पकड़ा आरोपी, न्यायालय से जारी वारंट के मामले में था वांछित

केकड़ी, 25 अगस्त (का.सं.)। अजमेर पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाला के निर्देश पर जिले में अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे एरिया डोमिनेशन विशेष अभियान के तहत केकड़ी सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक वारंटी को गिरफ्तार किया है।

पुलिस के अनुसार थाना केकड़ी सदर की टीम ने ग्राम धुंधरी निवासी हनुमान उर्फ पोषकर जाति कहार को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ न्यायालय एडीजेएम-01 केकड़ी से जारी वारंट लंबित था।पुलिस ने बताया कि 25 अगस्त 2026 को थाना केकड़ी सदर की टीम गश्त एवं वारंटियों की तलाश में जुटी थी। इस दौरान मुखबिर से सूचना मिलने पर पुलिस टीम ग्राम धुंधरी पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बाद में आरोपी को न्यायालय एडीजेएम-01 केकड़ी के समक्ष पेश किया गया।

न्यायालय से जारी थे वारंट

पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ थाना केकड़ी सदर में केस नंबर 27/2024, 73/2025 एवं 350/2026 से संबंधित प्रकरणों में न्यायालय से कार्रवाई लंबित थी।

पुलिस टीम में ये रहे शामिल

कार्रवाई में थानाधिकारी मुकेश गोरा, एएसआई रामस्वरूप, कांस्टेबल कानूनी 2996 तथा कांस्टेबल रामेश्वर 2740 शामिल रहे। पुलिस ने बताया कि एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत फरार एवं वारंटियों की धरपकड़ का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
VASTU HOUSING FINANCE
यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, ''ए'' विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सिवड़ी (पश्चिम), मुंबई 400015 महाराष्ट्र
CIN No.: U65922MH2005PLC272501

कब्ज़ा नोटिस

जबकि, प्रतिभूतिकरण एवं वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में, तथा सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13(12) और नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैंने नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लेखित राशि का भुगतान करने हेतु मांग नोटिस जारी किया था। उधारकर्ताओं द्वारा राशि का भुगतान न कर पाने पर, मैंने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) और नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लेखित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। ऋणकर्ता और गारंटर को विशेष रूप से और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन-देन वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड शाखा द्वारा नीचे उल्लेखित राशि और उस पर ब्याज, लागत आदि के शुल्क के अधीन होगा।

क्र. सं.	उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता का नाम और लैन नंबर	मांग सूचना की दिनांक और राशि	संपत्ति का विवरण	दिनांक और प्रकार का स्वामित्व
1.	गोकुल प्रसाद नगर (उधारकर्ता), रामप्यारी बाई (सह उधारकर्ता), बद्री लाल (सह उधारकर्ता), भोजराज प्रजापति (गारंटर) एलपी0000000007263	17/मई/26 रुपये 758786/- 12/मई/26 तक	अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो यहां स्थित है, खुसरा नंबर पर मकान 730, ग्राम बच्चीहेड़ा, तहसील कनवास, जिला कोटा, राजस्थान 325602, क्षेत्रफल 1500 वर्ग फुट, जिसकी सीमाएं इस प्रकार हैं: उत्तर में: राम गोपाल का मकान, दक्षिण में: बजरंग लाल का मकान, पूर्व में: आम रास्ता, पश्चिम में: बंतेश का मकान।	सांकेतिक कब्ज़ा लिया गया 21/8/2026
2.	रामनिवास (उधारकर्ता), सयारी देवी (सह-उधारकर्ता), रामपाल गुर्जर (गारंटर) HL0000000130236	19/जनवरी/26 रुपये 564927/- 16/जनवरी/26 तक	अचल संपत्ति का वह पूरा हिस्सा जो यहां स्थित है, पट्टा संख्या 3, ग्राम-लुलास, ग्राम पंचायत-लूलास, पंचायत समिति- शाहपुरा, भीलवाड़ा, शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजस्थान, 311001, संपत्ति का क्षेत्रफल: 2200 वर्ग फुट, सीमाएँ इस प्रकार हैं: उत्तर - महेंद्र गुर्जर दक्षिण - खाना नायक पूर्व - सार्वजनिक रास्ता पश्चिम - कल्याण सिंह	भौतिक कब्ज़ा लिया गया 20/8/2026

दिनांक : 26.08.2026
स्थान : कोटा, भीलवाड़ा
अधिकृत अधिकारी
वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

वर्धमान हॉस्पिटल में ब्लड सेंटर शुरू, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

दुर्घटना, प्रसव और ऑपरेशन के मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराने में होगी सुविधा

गंगापुर सिटी, मदन मोहन गर्ग। जयपुर रोड स्थित वर्धमान हॉस्पिटल में रविवार को वर्धमान ब्लड सेंटर का विधिवत शुभारंभ जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अनिल जेमिनी ने फीता काटकर किया। उन्होंने कहा कि दुर्घटना, प्रसव, ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों के उपचार में समय पर रक्त उपलब्ध होना बेहद जरूरी है। उन्होंने आमजन से रक्तदान के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया।

इस अवसर पर डॉ. मनोज जैन ने डॉ. अनिल जेमिनी का माला, साफा एवं स्मृति चिह्न भेंट कर स्वागत किया। हॉस्पिटल निदेशक डॉ. सुलेखा जैन ने सभापति शिवरतन गुप्ता, हॉस्पिटल टीम ने जिला चिकित्सालय के कार्यालय प्रमुख डॉ. विजेंद्र गुप्ता का स्वागत किया। डॉ. नीतिश एवं डॉ. अरविंद ने आईएमएस सेक्रेटरी डॉ. मुकेश गर्ग, डॉ. आयशा एवं डॉ. ऐश्वर्या ने वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. आरसी मीणा, डॉ. अनिल शर्मा ने डॉ. सतेंद्र पंचोली तथा बाबूलाल जैन ने डॉ. भारत गोयल का स्वागत किया।

उद्घाटन के बाद डॉ. अनिल जेमिनी ने ब्लड सेंटर का अवलोकन कर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली और हॉस्पिटल प्रबंधन को शुभकामनाएं दीं। ब्लड सेंटर शुरू होने से गंगापुर सिटी एवं आसपास के क्षेत्र के मरीजों को रक्त एवं आवश्यक ब्लड कंपोनेंट्स की उपलब्धता में सुविधा मिलेगी।

आपातकालीन परिस्थितियों में मरीजों के परिजनों को रक्त की व्यवस्था के लिए अन्य स्थानों पर भटकने से भी राहत मिलेगी।

कार्यक्रम का संचालन मोहसिन खान ने किया। इस अवसर पर डॉ. मनोज जैन, डॉ. सुलेखा जैन, डॉ. अरविंद, डॉ. नीतिश, डॉ. अनिल शर्मा, नीलेश, इशाक, अंकुर मीना, चिकित्सक, नर्सिंग स्टाफ सहित हॉस्पिटल की पूरी टीम मौजूद रही। वहीं दिगंबर जैन समाज अध्यक्ष प्रवीण गंगवाल, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप सचिव महेश जैन, भारत विकास परिषद प्रांत अध्यक्ष हर्षवर्धन शर्मा सहित अन्य गणमान्य नागरिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

बैद फिनसर्व लिमिटेड
(पूर्व में बैद लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)
पंजीकृत कार्यालय: ''बैद हाउस'', दूसरी मंजिल, 1-तारा नगर, अजमेर रोड, जयपुर-06
AAPKI PRAGATI HAMARA SAATH
फोन:9116133220 ई-मेल: Baidfinance@baidgroup.in वेबसाइट: www.baidfinserv.com CIN: L65910RJ1991PLC006391

परिशिष्ट-IV {नियम 8(1)} कब्जे संबंधी सुचना (अचल संपत्ति हेतु)

(प्रतिभूति हित (प्रर्वतन) नियम 2002 के सपठित नियम 8(1) के अनुसार)

जबकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने बैद फिनसर्व लिमिटेड (पूर्व में बैद लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन कानून 2002 के प्रवर्तन और धारा 13(12) सपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) कानून 2002 के अंतर्गत ऋण खाता संख्या 4778 & 4779 दिनांक 21.02.2025 को डिमांड नोटिस जारी किया था जिसमें ऋणी/यों 1. श्रीमती सरोज मीणा पत्नी राम खिलाड़ी मीणा (दिवंगत राम खिलाड़ी मीणा की कानूनी उत्तराधिकारी), 2. श्री सिद्धार्थ मीणा पुत्र राम खिलाड़ी मीणा (दिवंगत राम खिलाड़ी मीणा के कानूनी उत्तराधिकारी), 3. श्री हर्षवर्धन मीणा पुत्र राम खिलाड़ी मीणा (दिवंगत राम खिलाड़ी मीणा के कानूनी उत्तराधिकारी), 4. श्रीमती सरोज मीणा पत्नी राम खिलाड़ी मीणा, 5. श्री सिद्धार्थ मीणा पुत्र राम खिलाड़ी मीणा, 6. श्री हर्षवर्धन मीणा पुत्र राम खिलाड़ी मीणा, 7. श्री श्रीनिवास खेतावत को उक्त नोटिस की प्राप्ति के 60 दिन के अंदर उसमे उल्लिखित राशि रुपये 3,78,40,427/- (रुपये तीन करोड़ अठहत्तर लाख चालीस हजार चार सौ सत्ताईस मात्र) LAN - 4778 की बकाया राशि रु. 2,03,28,061/- (रुपये दो करोड़ तीन लाख अट्ठाईस हजार इकसठ मात्र) एवं LAN- 4779 की बकाया राशि रु. 1,75,22,366/- (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख बाईस हजार तीन सौ छियासठ मात्र) एवं दिनांक 05.02.2025 से ब्याज शामिल करते हुए की राशि को चुकाने का अनुरोध किया था।

ऋणी द्वारा यह राशि न चुका पाने के कारण ऋणी/जमानतदार एवं आम जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अघोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त नियमावली के नियम 8 प्रतिभूति हित प्रवर्तन कानून 2002 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 22.08.2026 वर्ष यहां नीचे दिए गए विवरण वाली संपत्ति का भौतिक कब्जा ले लिया है।

ऋणी/जमानती को विशेषकर तथा आम जनता को सामान्य रुप से सचेत किया जाता है कि वे इस संपत्ति में कोई लेनदेन न करे और इस संपत्ति में किसी भी प्रकार का लेनदेन बैद फिनसर्व लिमिटेड (पूर्व में बैद लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता था) के रुपये 3,78,40,427/- (रुपये तीन करोड़ अठहत्तर लाख चालीस हजार चार सौ सत्ताईस मात्र) LAN - 4778 की बकाया राशि रु. 2,03,28,061/- (रुपये दो करोड़ तीन लाख अट्ठाईस हजार इकसठ मात्र) एवं LAN- 4779 की बकाया राशि रु. 1,75,22,366/- (रुपये एक करोड़ पचहत्तर लाख बाईस हजार तीन सौ छियासठ मात्र) एवं दिनांक 05.02.2025 से भविष्य के ब्याज व खर्चों के ऋणभार प्रभार के अधीन होगा। ऋणी/जमान्तदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के लिए आमत्रित किया जाता है, जो उपलब्ध संपत्तियों को छुडा लेंनें के लिये उपलब्ध समय के संबंध में है।

अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति के सभी अंग व अंश जिसमें फ्लैट संख्या 102, प्रथम तल, प्रॉजेक्ट रॉयल ओरनेट जो प्लॉट संख्या बी-2, बी-3, बी-4 एवं बी-5, श्री राम विहार - बी, मालवीय नगर, जयपुर, राजस्थान में स्थित क्षेत्रफल 1548 वर्गफीट है। सीमाएँ:- उत्तर: अन्य भूमि, दक्षिण: 80 फीट चौड़ी सड़क, पूर्व: प्लॉट संख्या बी-1, पश्चिम: अन्य भूमि

हस/-
प्राधिकृत अधिकारी (बैद फिनसर्व लिमिटेड)
दिनांक : 22.08.2026 स्थान: जयपुर (पूर्व में बैद लीजिंग एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता था)

Bandhan Bank | रीजनल ऑफिस: नेताजी मार्ग, मीठाखली छ: रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन : +91-79-26421671-75

सांकेतिक आधिपत्य (कब्जा) सूचना

एतदर्थ सूचना दी जाती है कि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पूर्नगठन तथा प्रतिभूतिहित प्रर्वतन अधिनियम, 2002 कि धारा 13(12) एवं प्रतिभूतिहित प्रर्वतन नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पढते हुए अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग के तहत प्राधिकृत अधिकारी ने खाते(अकाउंट) के सामने उल्लेखित तिथि को डिमांड नोटिस (मांग पत्र) भेजा था व नोटिस प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर राशि की मांग की गई थी। ऋणी द्वारा भुगतान करने में असफल रहने पर कर्जदार और आम जनता को नोटिस द्वारा सूचित किया जाता है की अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उपरोक्त अधिनियम कि धारा 13 की उपधारा(4) सपठित नियम 8 के तहत नीचे लिखे लोन खातों में वर्णित बंधक सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा ले लिया है। अतः आप कर्जदार और आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित संपत्तियों के बारे में कोई व्यवहार न करें और इन संपत्तियों के साथ किसी व्यवहार पर वह राशि, ब्याज, खर्च एवं शुल्क के साथ बैंक को चुकाना होगा। सुरक्षित सम्पत्ति को रिडीम/वापस लेने के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) में उपलब्ध प्रावधानों के तहत ऋणियों का ध्यान आमंत्रित किया जाता है।

ऋणियों के नाम, गेरन्टर और ऋण खाता सं.	बंधक संपत्ति का विवरण (प्रतिभूती आस्तियां)	मांगपत्र की तिथि	सांकेतिक कब्जे की तिथि	कुल बकाया राशि, मांगपत्र की तारीख तक
श्री कालू लाल वर्मा श्रीमती विमला कालू लाल वर्मा 20007140001101	सभी चल और अचल संपत्ति, जो पट्टा नंबर 112, डीड नंबर 201903379100394, वार्ड नंबर 1, मकान नंबर 112, गाँव पाई, ग्राम पंचायत फुलेता, तहसील नैनवा, ज़िला बूंदी, राजस्थान - 323801, क्षेत्रफल 46.46 वर्ग मीटर और सुपर बिल्ट-अप एरिया 37.17 वर्ग मीटर में स्थित है और जो आवरित है:	मार्च 26, 2025	अगस्त 21, 2026	रु.2,38,633.40 (मार्च 24, 2025 तक)
कपिल देव 90001142499691	सभी चल और अचल संपत्ति, जो फ़ाइनल प्लॉट नंबर-177, 178; एफ नंबर-504 आरोही होम, पटेल नगर दादू दयाल, चौथी मंज़िल, आरोही होम्स जो प्लॉट नंबर-177 और 178 पर स्थित है, पटेल नगर स्कीम, कल्याणपुरा, जयपुर, क्षेत्रफल 855 वर्ग फ़ीट (बिल्ट-अप एरिया) और 1231.15 वर्ग फ़ीट, नगर मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान-302020 में स्थित है और जो आवरित है:	फ़रवरी 26, 2025	अगस्त 20, 2026	रु.36,83,301.20 (जनवरी 13, 2025 तक)
श्री रति राम बैरवा श्रीमती रेखा बैरवा 90000000756089 20007210000205	सभी चल और अचल संपत्ति, जो सर्वे नंबर, डीड नंबर 202103042102653, फ़ाइनल प्लॉट नंबर पट्टा नंबर 40, ब्लॉक/बिल्डिंग नंबर प्रस्ताव नंबर 1, हाउस नंबर 40, इलाका- इस्लामपुरा, ग्राम पंचायत - सोरन, शहर / तालुका और ज़िला टोंक, राजस्थान-304001, कुल क्षेत्रफल 170.44 वर्ग गज में स्थित है और जो आवरित है:	मार्च 09, 2026	अगस्त 20, 2026	रु.9,29,181.73 (फरवरी 11, 2026 तक)
श्री अमीन अली श्रीमती शमशाद बेगम 20007140001343	सभी चल और अचल संपत्ति, जो एक प्रॉपर्टी जिसका पट्टा नंबर 7367, खसरा नंबर 684 है, जो मोहल्ला मालियान, गाँव-पलायथा, तहसील-अंता, ज़िला-बारां में स्थित है, राज्य राजस्थान, 325202, ज़मीन का क्षेत्रफल 111.52 वर्ग मीटर और सुपर बिल्ट-अप एरिया 58.08 वर्ग मीटर में स्थित है और जो आवरित है:	फरवरी 18, 2026	अगस्त 20, 2026	रु.4,63,035.76 (फरवरी 11, 2026 तक)
श्री बेनी प्रसाद मीणा श्रीमती सविता मीणा 20007210000306	सभी चल और अचल संपत्ति, जो डीड नंबर 2022035041004, पट्टा नंबर-174, ग्राम देवली, तहसील उनियारा, टोंक, राजस्थान-304023 में स्थित है और जो आवरित है:	मई 27, 2025	अगस्त 21, 2026	रु.7,50,101.33 (मई 19, 2025 तक)

स्थानः राजस्थान
तारीखः अगस्त 26, 2026
प्राधिकृत अधिकारी
बंधन बैंक लिमिटेड

Bandhan Bank | रीजनल ऑफिस: नेताजी मार्ग, मीठाखली छ: रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन: +91-79-26421671-75

ऋणीओं के लिए मांग सूचना

नीचे बताया गया खाता एन.पी.ए. में परिवर्तित किया गया है और बंधन बैंक द्वारा सिक्युरिटाइझेशन एन्ड रिकन्स्ट्रकशन ओफ फायनान्सियल एसेट्स एन्ड एन्फोर्समेन्ट ओफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट (धी एक्ट), 2002 की धारा 13(2) तहत नीचे बताए गए कर्जदारों को डिमान्ड नोटिस जारी की गई थी, जो वापिस आई है। इस लिए आप सभी को और सार्वजनिक जनता को इस प्रकाशन द्वारा नोटिस जारी की जा रही है।

ऋणीयों के नाम, गेरन्टर और ऋण खाता नं.	बंधक संपत्ति (सुरक्षित संपत्ति) का ब्यौरा	मांग सूचना की तिथि/ NPA की तिथि	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि	सूचना चस्पा करने की तिथि
राहुल सैन श्रीमती सुनीता सैन 20007120000581 20007120001031	सभी चल और अचल संपत्ति, ज़मीन का एरिया 132.89 वर्ग मीटर और सुपर बिल्ट-अप एरिया 132.89 वर्ग मीटर है फ़ाइनल प्लॉट नंबर- 199, सर्वे नंबर- 199, ब्लॉक/बिल्डिंग नंबर- एच, हाउस नंबर- एच-199, फ़्लोर- एन ए, बिल्डिंग/सोसाइटी का नाम- एन ए, स्ट्रीट नंबर/नाम-एन ए, एरिया- हुडको स्कीम सेक्टर 6, शहर- हनुमानगढ़, राज्य- राजस्थान, 335512 है जो आवरित है: उत्तर: प्लॉट नंबर एच-200, पूर्व: सड़क, पश्चिम: प्लॉट नंबर एच-90, दक्षिण: प्लॉट नंबर एच-198	जून 23, 2026/ जून 03, 2026	रु.11,75,736.92 (जून 19, 2026 तक)	अगस्त 06, 2026

आप से इस सूचना के माध्यम से यह मांग की जाती है की इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपके नाम के सामने वर्णित बकाया लोन राशि ब्याज, खर्च, शुल्क सहित का भुगतान कर दें, अन्यथा सरफैसी एक्ट की धारा 13(4) के तहत अगली कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षित संपत्ति को रीडीम करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

स्थानः हनुमानगढ़
तारीखः अगस्त 26, 2026
प्राधिकृत अधिकारी
बंधन बैंक लिमिटेड

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -IV-ए - ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना

ई-नीलामी-अचल संपत्ति/संपत्तियों की सार्वजनिक बिक्री सूचना ई-नीलामी-वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित)

रजि. कार्यालयः- 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोनः-011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईटः-www.pnbhousing.com

बी.ओ. भिवाड़ी: ए-10, पहली मंजिल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाईपास, भिवाड़ी, राजस्थान-301019

इसके द्वारा आम जनता को तथा विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(कों) एवं गारंटीकर्ता(कों) को सूचित किया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति (संपत्तियां) जो सुरक्षित ऋणदाता को बंधक रखी गई है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**/सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा (जैसा कॉलम संख्या-सी में वर्णित है) ले लिया गया है, उसे नीचे उल्लेखित विवरण के अनुसार **''जहां है जैसा है, जो है जैसा है और जो भी है के आधार पर''** बेचा जाएगा। एतद्द्वारा, संबंधित उधारकर्ताओं/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों (ज्ञात या अज्ञात), निष्पादकों, प्रशासकों, उत्तराधिकारियों, समनुदेशिती(ओं) को सूचित किया जाता है, जैसा भी मामला हो, जैसा कि प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के संशोधित नियम-8(6) और 9 के अंतर्गत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया गया है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया **मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.pnbhousing.com** पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या का नाम उधारकर्ता/सह- उधारकर्ता/गारंटर / कानूनी उत्तराधिकारी(ए)	मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा की प्रकृति (सी)	गिरवी रखी गई संपत्तियाँ का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (10% का आरपी) (एफ)	बोली जमा करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि मानसिक दर (एच)	निरीक्षण दिनांक और समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	एनोउन एनकम बैंस कोर्ट केस, यदि कोई हो (के)
एचओयू/बीएचआई/0217/357995, इंदर सिंह एवं शिव काला, बी.ओ.: भिवाड़ी	रुपये 15,05,859.91/- (पंद्रह लाख पाँच हज़ार आठ सौ उनसठ रुपये और इक्यानवे पैसे), 11/12/25	भौतिक कब्जा	फ्लैट नंबर-801, ग्राउंड फ्लोर ब्लॉक-यू, ट्रेहन हिल व्यू गार्डन, गांव-थाड़ा, भिवाड़ी, अलवर, राजस्थान, भारत, 301019	रु. 14,41,000	रु. 144,100	28-09-2026	रु. 10,000.	15-09-2026, सुबह 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक	29.096.2026, 02.00 अपराह्न - अपराह्न 03.00 बजे	ज्ञात नहीं है

***18% प्रति वर्ष की दर से अतिरिक्त ब्याज के साथ जैसा लागू हो, भुगतान और/या उसकी वसूली की तारीख तक किए गए आकस्मिक खर्च, लागत, शुल्क आदि। **पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, उपरोक्त उल्लेखित अचल/सुरक्षित संपत्तियों के संबंध में कॉलम संख्या-के में बताए गए को छोड़कर कोई अन्य बाधा/दावा नहीं है। सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा अपनी ओर से पूरा किया/भुगतान किया जाएगा। संभावित क्रेता/बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे उल्लेखित बाधाओं की सत्यता का स्वतंत्र रूप से पता लगाएं।** (1.) आज तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के अधिकृत अधिकारी को उपरोक्त अचल संपत्तियों/सुरक्षित संपत्तियों को बेचने, अलग करने और/या निपटाने से रोकने वाला कोई आदेश और/या अदालती निषेधाज्ञा नहीं है और स्थिति कॉलम संख्या-के में उल्लेखित है। (2.) संभावित क्रेता/बोलीदाता और इच्छुक पक्ष स्वतंत्र रूप से कॉलम संख्या-के में बताई गई कार्यवाही/पारित आदेशों आदि में दलील का निरीक्षण कर सकते हैं। जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध स्वामित्व से संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है और निविदा/बोली आवेदन पत्र जमा करने या प्रस्ताव देने से पहले सभी मामलों में खुद को संतुष्ट करते हैं। बोली लगाने वालों को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करना होगा। (3.) कृपया ध्यान दें कि सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25% जमा करने के लिए बाध्य है, (इसमें शामिल है) बयाना राशि का) उसी दिन या अगले कार्य दिवस के बाद नहीं। सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25% प्राप्त होने के बाद ही (बोली लगाने वालों) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75% बिक्री पुष्टिकरण पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता को बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और ऐसी जमा राशि में चूक होने पर, अधिकृत अधिकारी बिक्री का आंशिक भुगतान जब्त कर लेगा। बिक्री पुष्टिकरण पत्र में उल्लेखित 15 दिनों की अनिवार्य अवधि की समाप्ति की तारीख से 15 दिनों के भीतर प्रतिफल राशि और संपत्ति/सुरक्षित संपत्ति को सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार फिर से बेचा जाएगा। (4.) **मैसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के संचालन में प्राधिकृत अधिकारी की सहायता करेगा, जिसका कॉर्पोरेट कार्यालय प्लॉट नंबर 68, तीसरी मंजिल, सेक्टर 44, गुड़गांव, हरियाणा 122003 में है। वेबसाइट - www.bankeauctions.com संपत्ति के निरीक्षण से संबंधित किसी भी सहायता या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण के लिए, आपको रवि कुमार, टोल फ्री नंबर -1800120 8800, ई-मेल: auction@pnbhousing.com के साथ समन्वय करना होगा, जो पीएनबीएचएफएल का अधिकृत व्यक्ति है या www.pnbhousing.com देखें।**

स्थान:- भिवाड़ी | दिनांक:- 26.08.2026 | एसडी/-प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

Bandhan Bank | रीजनल ऑफिस: नेताजी मार्ग, मीठाखली छ: रास्ते के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-06. फोन: +91-79-26421671-75

ऋणीओं के लिए मांग सूचना

नीचे बताया गया खाता एन.पी.ए. में परिवर्तित किया गया है और बंधन बैंक द्वारा सिक्युरिटाइझेशन एन्ड रिकन्स्ट्रकशन ओफ फायनान्सियल एसेट्स एन्ड एन्फोर्समेन्ट ओफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट एक्ट (धी एक्ट), 2002 की धारा 13(2) तहत नीचे बताए गए कर्जदारों को डिमान्ड नोटिस जारी की गई थी, जो वापिस आई है। इस लिए आप सभी को और सार्वजनिक जनता को इस प्रकाशन द्वारा नोटिस जारी की जा रही है।

ऋणीयों के नाम, गेरन्टर और ऋण खाता नं.	बंधक संपत्ति (सुरक्षित संपत्ति) का ब्यौरा	मांग सूचना की तिथि/ NPA की तिथि	मांग सूचना तिथि को बकाया राशि	सूचना चस्पा करने की तिथि
श्री. राजेंद्र कुमार धोबी श्रीमती. सुनीता देवी श्री. घनश्याम पुत्र दुर्गा पार्षद श्री. मुकेश कुमार पुत्र कैलाश चंद माली 20007050001096 20007050001263	सभी चल और अचल संपत्ति, पट्टा नं. 216/40, भेरू गेट, कुमारों का मोहल्ला, पुरानी केकड़ी, जिला अजमेर, राजस्थान-305404 विशाल क्षेत्रफल 61.58 वर्ग गज है जो आवरित है:	जुलाई 13, 2026/ जुलाई 04, 2026	रु.9,99,421.61 (जुलाई 09, 2026 तक)	अगस्त 21, 2026
श्री. भागचंद सेन श्रीमती. सिमा देवी बनवारी लाल पुत्र रामनिवास जी सैन 20007050001160 20007050001337	सभी चल और अचल संपत्ति, पत्रावली नं. 36, पट्टा एसआर. नं 65, गुजराती मोहल्ला, पुरानी केकरी, जैन मंदिर के पास, शहर और तालुका केकरी, जिला अजमेर, राजस्थान-305404 मापने वाला क्षेत्र 95.55 वर्ग यार्ड है जो आवरित है:	जुलाई 13, 2026/ जुलाई 04, 2026	रु.5,46,082.22 (जुलाई 09, 2026 तक)	अगस्त 21, 2026
श्री. सुरेंद्र सिंह राठौड़ श्रीमती. नीलिमा राठौड़ 20007100001847	सभी चल और अचल संपत्ति, प्लॉट नंबर 177 (पूर्वी हिस्सा), श्याम एन्क्लेव स्कीम, सिरसी रोड, पंचायवाला, शहर/तालुका और ज़िला जयपुर, राजस्थान- 302021 क्षेत्रफल 1800 वर्ग फ़ीट है जो आवरित है:	जुलाई 13, 2026/ जुलाई 04, 2026	रु.40,13,189.34 (जुलाई 09, 2026 तक)	अगस्त 21, 2026
श्री भगवान दास श्रीमती प्रीति शाक्यावाल श्री राकेश त्रिलोक साल्वी श्रीमती गीता बाई त्रिलोक साल्वी 20007140000607 20007140000802	सभी चल और अचल संपत्ति, सर्वे नंबर 365, डीड नंबर 20183127100246, तारीख 23/01/2018, बिल्डिंग नंबर 365, पट्टा नंबर 31723 तारीख 26.02.2014, बालाकुंड कच्ची बस्ती, केशवपुरा कोटा, बालाकुंड, कोटा, राजस्थान 324009 ज़मीन का क्षेत्रफल 51.11 वर्ग मीटर और सुपर बिल्ट-अप एरिया 153.34 वर्ग मीटर है जो आवरित है:	जुलाई 13, 2026/ जून 03, 2026	रु.26,32,848.75 (जुलाई 09, 2026 तक)	अगस्त 21, 2026

आप से इस सूचना के माध्यम से यह मांग की जाती है की इस सूचना के प्रकाशन से 60 दिनों के भीतर आपके नाम के सामने वर्णित बकाया लोन राशि ब्याज, खर्च, शुल्क सहित का भुगतान कर दें, अन्यथा सरफैसी एक्ट की धारा 13(4) के तहत अगली कार्यवाही की जाएगी। सुरक्षित संपत्ति को रीडीम करने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में कर्जदार का ध्यान, अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है।

स्थानः राजस्थान
तारीखः अगस्त 26, 2026
प्राधिकृत अधिकारी
बंधन बैंक लिमिटेड

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक व मुद्रक युवराज सिंह के लिए सोनू वेब ऑफसेट, नींदड़ मोड़ के सामने, हरमाड़ा-सीकर रोड, जयपुर से मुद्रित व प्रकाशित किया जाता है। सम्पादक युवराज सिंह, पत्रों में लेखकों द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सम्पादक एवं प्रकाशक की सहमति अनिवार्य नहीं है। न्यायालय सम्बन्धी सभी मामले जयपुर में निपटाये जायेगें। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना पूर्णतः व आंशिंक व पूर्ण प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबन्धित है। सम्पादक-युवराज सिंह मोबाईल नम्बर : 9829410051 ई-मेलः yuvrajsinghh@gmail.com पोस्टल रजिस्ट्रेशन नम्बर RJ/JPC/D-009/2006-08